न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

केस संख्या : डाग/ 69 / 2023

उनवान:- सीताराम बनाम वादी

पत्रावली आज दिनांक 20/2/25 को पेश हुई। पत्रावली वास्ते तलबी/साक्ष्य/कार्यवाही/प्रा.जवाब पुर्वानुसार कार्यवाही हेतु दिनांक 18/3/25 को पेश हो।

18/3/25 को पत्रावली आज दिनांक ... को पेश हुई। पत्रावली वास्ते तलबी/साक्ष्य/कार्यवाही/प्रा.जवाब पुर्वानुसार कार्यवाही हेतु दिनांक 21/4/25 को पेश हो।

पत्रावली आज दिनांक 21/4/25 को पेश हुई। अग्रिम कार्यवाही पुर्वानुसार कार्यवाही हेतु 16/5/25 को पेश हो।

पत्रावली आज दिनांक 16/5/25 को पेश हुई वकील प्रार्थी-अप्रार्थी/वादी-प्रतिवादी उपस्थित हुये। पत्रावली वास्ते तलबी/साक्ष्य/कार्यवाही/प्रा.जवाब/ पुर्वानुसार कार्यवाही हेतु दिनांक 19/5/25 को पेश हो।

पत्रावली आज दिनांक ~~19/5/25~~ को पेश हुई वकील प्रार्थी-अप्रार्थी/वादी-प्रतिवादी उपस्थित हुये। पत्रावली वास्ते तलबी/साक्ष्य/कार्यवाही/प्रा.जवाब/ पुर्वानुसार कार्यवाही हेतु दिनांक ~~20/5/25~~ को पेश हो।

19/5/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 17 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना के अनुसार समझौता हो गया है। अतः वाद की आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वाद को पिड्डा से खारिज किया जावे। वादी द्वारा अपने हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र भी पेश किया। जिसकी पहचान वकील वादी द्वारा की गई। अब स्वयं वादी अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं कि वाद को आगे चलाने में कोई औचित्य नहीं है। वादी के प्रार्थना स्वीकार किया जाकर वाद को पिड्डा से खारिज किया जाता है। पत्रावली अन्तर शुमार होकर इन्दराज होकर डायरी इन्दराज हो। निर्णय आज दिनांक 19/5/25 को विवृत्त करके सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय